प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1246 सन 2021

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाति मेधवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ज्याना पुत्री लिखमाराम जाति मेधवाल निवासी ललानबास दिखानादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

3. नाथी पुत्री लिछमाराम जाति मेधवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 17.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 237/245 की कुल 11.0900हैक भूमि मृतक लिखमराम पुत्र बीरबल के नाम से 2762/5545 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में लिखमाराम पुत्र बीरबलराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता लिखमाराम पुत्र बीरबलराम का देहान्त हो चुका है लिखमाराम पुत्र बीरबलराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 एवं मृतक अमरसिह है अमरसिह की जायज वारिसान उसके पत्नि शान्ति है इसप्रकार वाद भूमि वर्तमान में लिखमाराम के नाम से दर्ज है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 है।

वाद भूमि जो लिखमाराम पुत्र बीरबलराम के नाम से दर्ज जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान में से लिखमाराम पुत्र बीरबलराम की पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने अपने हक हिस्सा का हक त्याग अर्थात दस्तबरदारी अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है अर्थात दस्तबरदारी एवं हक त्याग करने के बाद वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई जा चुकी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की लिखमाराम पुत्र बीरबलराम के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावं के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ,3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के पिता लिखमाराम पुत्र बीरबलराम के नाम से दर्ज है जिनका देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 एवं अमरसिह है जिसका देहांन्त हो चुका है जिसकी वारिसान उसकी पत्नि है जिसके नाम भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तवरदारी अपने भाई के पक्ष में किया जा चुका है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी

संख्या 1 ,3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड लिखमाराम पुत्र बिरबलराम के नाम से दर्ज हे जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 व मृतक अमरसिह का पिता है लिखमाराम पुत्र बिरबलराम का देहान्त हो चुका है वादी के कथ्थनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है वाद भूमि जो लिखमाराम पुत्र बिरबलराम के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा अपने कथनो के सम्बध में दस्तबरदारी की प्रति भी पेश की गई है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 , 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 237/245 की कुल 11.0900हैक भूमि मे मृतक लिखमाराम पुत्र बीरबल के नाम 2762/5545 हिस्से भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (सजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... खूईया.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाति मेधवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ज्याना पुत्री लिखमाराम जाति मेधवाल निवासी ललानबास दिखानादा तहसील नोहर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

3. नाथी पुत्री लिछमाराम जाति मेधवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1246 सन 2021 निर्णय दिनांक– 17.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 237/245 की कुल 11.0900हैक भूमि मे मृतक लिखमाराम पुत्र बीरबल के नाम 2762/5545 हिस्से भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....खूईया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर